भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 554

उत्तर देने की तारीख : 06.02.2025

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास

554. श्री बैजयंत पांडा:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास (सीजीटीएमएसई) से लाभान्वित होने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की कुल संख्या कितनी है;

(ख) ओडिशा और विशेष रूप से केंद्रपाड़ा में उक्त योजना से लाभान्वित होने वाले एमएसएमई की कुल संख्या कितनी है;

(ग) वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान सीजीएमएसई योजना के तहत कुल कितनी धनराशि आवंटित और संवितरित की गई है;

(घ) एमएसएमई, विशेष रूप से नए और पहली बार बने उद्यमियों के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) क्या सरकार के पास आने वाले वर्षों में सीजीटीएमएसई योजना के माध्यम से एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी बढ़ाए जाने हेतु कोई रूपरेखा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) द्वारा कार्यान्वित क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएस) के तहत पात्र सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को 2.02 लाख करोड़ रुपए की कुल 17.24 लाख क्रेडिट गारंटियां दी गई हैं।

(ख) : वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान ओडिशा और केंद्रपाड़ा में सीजीएस के तहत पात्र एमएसई को दी गई कुल ऋण गारंटियां का विवरण निम्नानुसार है;

	अनुमोदित गारंटियों की संख्या	अनुमोदित राशि (रुपए करोड़ में)
ओडिशा	56,392	6,109
केंद्रपाड़ा	1,359	112

(ग) : वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सरकार द्वारा अभी तक सीजीटीएमएसई को कोई भी धनराशि आवंटित नहीं की गई है।

(घ) और (ङ) : नए उद्यमियों सहित एमएसई की ऋण की उपलब्धता में वृद्धि और सीजीएस की पहुंच तथा कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

i. अधिकतम गारंटी सीमा को 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए किया गया है।

ii. वार्षिक गारंटी शुल्क की अवसंरचना को संशोधित किया गया है, जिसमें वार्षिक गारंटी शुल्क को प्रति वर्ष 2% की अधिकतम दर से घटाकर 0.37% तक कम कर दिया गया है।

iii. कानूनी कार्रवाई से छूट की सीमा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है।

iv. विशेष श्रेणी के उधारकर्ताओं को दिए गए ऋण के शुल्क में 10% की रियायत और 85% का कवरेज दिया गया है।

v. दिनांक 10.12.2024 की अधिसूचना के माध्यम से महिला स्वामित्व वाले एमएसई के लिए गारंटी कवरेज की सीमा 85% से बढ़ाकर 90% कर दी गई है।

vi. आरबीआई द्वारा चिन्हित ऋण की कमी वाले जिलों (आईसीडीडी) में एमएसई को ऋण प्रवाह में वृद्धि के लिए, सीजीटीएमएसई वार्षिक गारंटी शुल्क पर 10% की छूट प्रदान करता है और अतिरिक्त 5% का गारंटी कवरेज प्रदान करता है।

vii. सीजीटीएमएसई ने 14.02.2024 को क्रेडिट गारंटी योजना के तहत 'अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) के लिए विशेष प्रावधान' पेश किया है। गारंटी में 85% कवरेज के साथ 20 लाख रुपए तक की ऋण सुविधाएं शामिल हैं, जिसमें किसी प्राथमिक सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, तथा 10 लाख रुपए तक के लिए गारंटी शुल्क 0.37% तथा 10 लाख से 20 लाख रुपए के लिए 0.45% है।

viii. जैसा कि केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषणा की गई थी, ऋण तक पहुंच में सुधार के लिए एमएसई के लिए ऋण गारंटी कवर को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया जाएगा।

*****